मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–233/2012/32 भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला भोपाल

2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
भोपाल ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत भोपाल

4. आयुक्त
नगरपालिका निगम भोपाल

341/TC
24/2/15

विषय :–भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने भोपाल विकास 2005 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क0–एफ 3–233/2012/32 भोपाल दिनांक 12/2/2015

प्रतिलिपि :–

आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्रमांक 229
दिनांक 16/2/15
शाखा TC
अधीक्षक

ADM(S)

23/2/15

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 12-2-/2015

क्रमांक–एफ–3–223/2012/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक –1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

भोपाल विकास योजना 2005 4.61 में निर्दिष्ट प्रावधान ए–3 कृषि परिक्षेत्र (ए–2सहित)परिक्षेत्र में स्वीकार्य एवं स्वीकृत उपयोग	उपांतरण पश्चात उपान्तरित स्वीकार्य एवं स्वीकृत उपयोग
ग्रामीण केन्द्र, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सेवाएं (आबादी से 0.5 किलो मीटर की परिधि में) आर्चर्ड, पैध नर्सरी वायर लैस एवं संचार वन एव परिक्षेत्र में एकट्रेक्टिव उद्योग (भोजवेट लेण्ड क्षेत्र छोड़कर) उद्यानिकी, डेरी एवं कुक्कटपालन, दुग्ध शीत केन्द्र, गोल्फ कोर्स, खेल मैदान, बाजार उद्यान, फल उद्यान, नर्सरी, स्टेपल फसल के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र, चारागाह एवं वृक्षारोपण ।	दुग्ध शीत केन्द्र के पश्चात शीत केन्द्र (cold storage/ warehouse) केन्द्र जोड़ा जाता है ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक

समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(वर्षा नावलेकर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 12-2-15

No. F-3-233/2012/32 In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No. 1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for Public information, in the Bhopal development plan, 2005 as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

Under Provision of point 4.16 Bhopal Development Plan 2005 **Permitted & Permissible land use premises in A-3 Rural zone (including A-2)**	**Modified Permitted & Permissible land use premises after modifications**
Rural Centre, Public & Semi-public facilities (with in radies of 0.5 km of settlement) orchard, plant Nursry, wireless & transmission, forest & extractive industry in zone (except Bhoj wetland area), Horticulture, Dairy & poultry farming, milk chilling centre, golf course sports field, market garden, orchard, Nurseries, land under staple crops, grazing pastures & aforestation.	Insertion after milk chilling centre (cold storage/Warehouse) is inserted

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Bhopal as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of Publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development And Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
(Varsha Naolekar)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department